

बिहार सरकार  
विधि विभाग

॥ अधिसूचना ॥

एस0आ0.....

पटना, दिनांक-.....

प्रार्थ: कतिपय विभागों द्वारा किसी वाद की महत्ता को दर्शाते हुए विशेष रूप से अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु उनके नाम का चयन का प्रस्ताव विधि विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है जिसमें चयन विभागीय स्तर से स्वमेव किया जाता रहा है। अब जैसे मामले अथवा किसी भी प्रकार के अधिवक्ता के पैनल के गठन का मामला हो भले ही वह विवाचन (Arbitration) से सम्बन्धित पैनल गठन का मामला हो उसके लिये सम्बन्धित विभाग के विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में स्क्रूनिंग कमिटी का गठन किया जायेगा। स्क्रूनिंग कमिटी में सदस्य के रूप में प्रधान सचिव या सचिव तथा विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे। विभागीय स्क्रूनिंग समिति द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति या पैनल गठन हेतु नामों का चयन कर विधि विभाग को भेजा जायेगा। विधि विभागीय स्क्रूनिंग कमिटी द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त अधिवक्ता की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जायेगा।

सं0सं0-ए0/यो0 निगम अधि0-24/2011

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार

ज्ञाप सं0-ए0/यो0 निगम अधि0-24/2011.....जे0, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सञ्चालन मुद्रणालय, गुलशारबाग, पटना-7 को सीडी0 प्रति (सौफ्ट कॉपी) के साथ सूचनार्थ एवं बिहार के असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ तथा 25 (पचीस) गजट की प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु अप्रसारित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार

ज्ञाप सं0-ए0/यो0 निगम अधि0-24/2011.....जे0, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार

ज्ञाप सं0-ए0/यो0 निगम अधि0-24/2011.....जे0, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार

ज्ञाप सं0-ए0/यो0 निगम अधि0-24/2011.....जे0, पटना, दिनांक 22-11-11.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार